मेहराज बानो बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 44/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/335

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रार्थीया के आधार कार्ड नम्बर 3329 4351 4965 प्रार्थीया का नाम मेहराज बानो पत्नी छोट मोहम्मद नाम दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार प्रेम मेहराज बानो पत्नी छोट मोहम्मद के स्थान मेहराज बानो पत्नी छोट मोहम्मद एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॅार्ड (जमाबंदी) में मौजा ढेहरी के खाता संख्या 652 के खसरा नम्बर 397 रकबा 2.6062 हैक्टेयर, में दर्ज प्रेम मेहराज बानो पत्नी छोट मोहम्मद के स्थान मेहराज बानो पत्नी छोट मोहम्मद दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा ढेहरी के खाता संख्या 652 के खसरा नम्बर 397 रकबा 2.6062 हैक्टेयर, में **दर्ज नाम प्रेम मेहराज बानो पत्नी छोट मोहम्मद के स्थान मेहराज बानो पत्नी छोट मोहम्मद दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॅार्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 22/03/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)